ग्राम पंचायत ढुगियारी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016
भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत ढुगियारी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती पुष्पा देवी	01.04.13 से 22.01.16
2	श्री रविकान्त	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री भवदीप सिंह	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत ढुगियारी के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का सार	राशि (लाखों में)
1	7	खाता (ख) में अर्जित ब्याज को खाता–(क) में अन्तरित न करना	0.15
2	13	अनुदान का उपयोग न करना	5.10
3	14	औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर की खरीद	2.16

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत ढुगियारी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरबीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 18.10.16 से 24.10.16 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 6/13, 9/14 व 10/15 तथा 9/13, 10/14 व 4/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत ढुगियारी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 175 दिनांक 24.10.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत ढुगियारी से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत ढुगियारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत ढुगियारी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	134368	279555	413923	292182	121741
2014–15	121741	207602	329343	221813	107530
2015–16	107530	97744	205274	169175	36099

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत ढुगियारी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	109024	2738120	2847144	2811434	35710
2014–15	35710	1657361	1693071	1558486	134585
2015–16	134585	1585603	1720188	1210192	509996
		स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग (1+2)			**₹546095**

दिनांक 31.3.2016 को रैत स्थित के0सी0सी0 बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्रमांक	निधि	बैंक खाता सं0	राशि
1	सभा निधि	20040016435	36099
2	मनरेगा	50055756835	शून्य
3	IAY	50055751949	585
4	AAY	50055751938	32906
5	13वां वित्त	50055751905	406198
6	VKVNY	50055751950	5125
7	NRHM	50055751927	74
8	TSC	50055751892	54318
9	SDP	50056683091	4255
10	3वां वित्त	50055751916	6535
		कुल	**₹546095**

(1) अन्तशेष का विवरणः–

(क)	दिनांक 31.3.16 की वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष	₹546095
(ख)	दिनांक 31.3.16 को बैंक में कुल जमा राशि	₹546095

5 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाऐगें और आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः

नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 नियमों के विरूद्ध दस बैंक खातों का खोला जाना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले का प्रावधान है जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4 के अनुसार इस बैंक बचत खाते खोले गए है। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन आठ अतिरिक्त बैंक खातों को बन्द करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

7 खाता "ख" में अर्जित ₹0.15 लाख ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज को उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था परन्तु ब्याज की राशि को अन्तरित नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

		वर्ष		
खाता संख्या	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**	**कुल ब्याज (₹)**
50055751892	93	1239	2186	3518
50055751905	47	442	155	644
50055751949	70	118	22	210
50055751938	1538	1593	1275	4406
50055751916	87	473	875	1435
50055751927	197	328	30	555

G.P. Dhugiyari

50055751950	654	48	581	1283
50056683091	121	159	165	445
555756835	2531	55	–	2586
जोड़	**5338**	**4455**	**5289**	**15082**

8 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 कर माँग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्त्रोत, जैसे कि गृहकर, भू राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 सामान्य निधि से ₹152 के अधिक भुगतान बारेः–

वाऊचर संख्या 30 दिनांक 20.10.14 के अन्तर्गत दिनांक 1.10.14 से 8.10.14 तक साफ सफाई के लिए मजदूरों के मस्ट्रोल का ₹5082 का किया गया। अंकेक्षण द्वारा अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मस्ट्रोल पर अंकित हाजरी के अनुसार कुल भुगतान ₹4930 बनता है। इस प्रकार ₹152 का अधिक भुगतान किया गया। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर पंचायत द्वारा उक्त अधिक भुगतान की राशि को रसीद संख्या 0782327 दिनांक 24.10.16 द्वारा अंकेक्षण के दौरान जमा कर दिया गया।

G.P. Dhugiyari

11 मनरेगा से ₹130 के अधिक भुगतान बारेः—

वाऊचर संख्या 2 दिनांक 15.5.13 के अन्तर्गत दिनांक 1.3.13 से 15.3.13 तक कुहल के निर्माण के लिए लगाए गए मजदूरों के 5 मस्ट्रोल का कुल ₹88660 का भुगतान दर्शाया गया। अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जाँच में पाया गया कि भुगतान किए गए 5 मस्ट्रोल का योग ₹88530/— बनता है। इस प्रकार ₹130 का अधिक भुगतान किया गया। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर पंचायत सचिव द्वारा उक्त अधिक भुगतान की राशि को रसीद संख्या 0782326 दिनांक 24.10.16 द्वारा अंकेक्षण के दौरान जमा कर दिया गया।

12 गृह—कर के रूप में वसूली ₹25 की राशि कम जमा करने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान आय की जाँच परीक्षण में पाया गया कि दिनांक 25.3.14 को रसीद संख्या 424576 से 424599 तक प्रत्येक राशि ₹25 की दर से गृह कर के रूप में काटी गई जिनका योग ₹600/— बनता है जबकि रोकड़ बही बुक में यह ₹575 दर्शाई गई है। इस प्रकार गृह कर के रूप में ₹25 कम जमा करवाए गए। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर सचिव द्वारा उक्त कम राशि को रसीद संख्या 0782325 दिनांक 24.10.16 द्वारा अंकेक्षण के दौरान जमा कर दिया गया।

13 अनुदान ₹5.10 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट—1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹509996 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

14 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.16 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय

G.P. Dhugiyari

वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹216324 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकता को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुरूप न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	–
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

16 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹9.5 लाख के कार्य निष्पादन बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निम्न मामलों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹9.50 लाख का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। अतः निर्माण कार्यों का निष्पादन बिना सहभागी समिति के गठन के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए सहभागी समिति गठित करनी सुनिश्चित की जाए।

G.P. Dhugiyari

17 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

19 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 58 / 2016–खण्ड–1–1745–1748 दिनाँक : 23.03.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत ढुगियारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

G.P. Dhugiyari

ग्राम पंचायत ढुगियारी विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

(परिशिष्ट–2) (पैरा–14 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	वा0सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1	मनरेगा	71/20.9.13	श्री अमित द्वारा रेत, पत्थर की सप्लाई 25 ट्राली दर 440	11000
2	मनरेगा	73/21.9.13	श्री अमित द्वारा रेत, कील सटरिंग का भुगतान	41820
3	मनरेगा	75/23.9.13	श्री अमित द्वारा रेत की सप्लाई	12000
4	मनरेगा	81/11.10.13	श्री अमित द्वारा रेत व शटरिंग सप्लाई का भुगतान	13270
5	मनरेगा	82/11.10.13	श्री बलदेव राज रेत, बजरी की सप्लाई का भुगतान	20000
6	मनरेगा	42/20.10.14	श्री महावीर सिंह द्वारा रेत, बजरी शटरिंग की सप्लाई का भुगतान	25000
7	सभा निधि	49/20.1.15	मै0 अतुल सूद द्वारा सप्लाई की गई फलोर टाईल का भुगतान	14320
8	सभा निधि	20/5.10.13	मै0 उत्तम चन्द एण्ड सन्ज द्वारा सप्लाई सरियां आदि का भुगतान	21964
9	सभा निधि	36/28.10.13	श्री कुसुम द्वारा रेत, पत्थर की सप्लाई का भुगतान	18000
10	सभा निधि	37/2.9.15	श्री अशोक कुमार गुडज कैरियर द्वारा क्रशर व रेत की सप्लाई का भुगतान	19500
11	सभा निधि	41/8.10.15	श्री रोशन लाल द्वारा लोकल रेत की बजरी की सप्लाई का भुगतान	19450
			कुल	**₹216324**

सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य निष्पादन

(परिशिष्ट–3) (पैरा–16 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	कार्य का नाम	राशि
1	मनरेगा	निर्माण कूहल ढुगियारी	1.50
2	मनरेगा	निर्माण कुहल प्लाट वाली	1.50
3	मनरेगा	निर्माण कुहल कुलदीप के घर वाली	1.50
4	मनरेगा	निर्माण कुहल सुरेश के घर के पास	1.50
5	मनरेगा	निर्माण कूहल नजदीक शिव मन्दिर	1.50
6	मनरेगा	निर्माण ढंगा वार्ड–1	1.00
7	मनरेगा	निर्माण ढंगा वीर सिंह की जमीन के पास	1.00
		कुल	**₹9.50**

G.P. Dhugiyari